न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

मुकदमा नम्बर :– 02/2023 (सी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/23)

अपीली प्रकरण :–

रामसरन पुत्र फोदी जाति जाटव निवासी ग्राम आरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर प्रार्थी

बनाम

1– रामलाल पुत्र रामफूल जाति जाटव निवासी ग्राम आरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

2– आवंटन कमेटी द्वारा अति0जिलाधीश धौलपुर

3– राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर

4– ग्राम पंचायत नुनैहरा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत नुनैहरा पंचायत समिति सैपऊ जिला धौलपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से :– श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से :– श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से :– पैरोकार सरकार

अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से :– –

निर्णय दिनांक 19.11.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा किस्म चारागाह में से 02 बीघा ग्राम आरी तहसील सैपऊ व मुकाम धौलपुर दिनांक 17.9.1971 को आवंटन कमेटी ने रामलाल पुत्र रामफूल को आवंटन किया गया। उक्त आवंटन आदेश से असन्तुष्ट होकर यह प्रार्थना पत्र इन आधारो पर पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा ग्राम आरी तहसील सैपऊ के खाता संख्या 118 बांकेग्राम आरी संवत 2022 में चारागाह भूमि है। चारागाह भूमि सार्वजनिक प्रयोग की भूमि होती है। चारागाह भूमि ग्रामवासियों की मवेशी चराने के लिये आरक्षित भूमि होती है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। नियम 4 आवंटन नियम 1970 चारागाह सार्वजनिक प्रयोग की भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं है। आवंटन से पूर्व उदघोषणा जारी नहीं की गयी। आवंटन से पूर्व उपखण्डाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की प्रवष्टि की कोई जांच नहीं की आवंटन की

पात्रता बावत कम नहीं बनायी गयी नियम 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 की पालना नहीं की गयी जबकि आवश्यक है। आवंटन नियम विरूद्व किया गया। आवंटन कार्यवाही से आवंटन सलाहकार समिति को सूचना दिनांक, समय, स्थान आदि दी जावेगी वैठक की जिस ग्राम में आवंटन भूमि स्थित है उसकी उसकी ग्राम पंचायत में वैठक होनी चाहिए ग्राम पंचायत में न करके व मुकाम धौलपुर की गयी। सलाहकार समिति में दो सदस्य सरपंच, अनुसूचित जाति का उपस्थिति दर्ज है। अतः कोरम पूरा नहीं था। आवंटन विधि विरूद्व किया गया। रामलाल पुत्र मनफूल भूमिहीन व्यक्ति नहीं था उसके नाम 7 बीघा 8 विस्वा आराजी ग्राम आरी में थी तथा उसके पिता मनफूल पुत्र केशो के नाम भी 7 बीघा 8 विस्वा बांकेग्राम आरी में थी। अतः आवंटन फॉर्म के कालम 1, 2 में कोई भूमि नहीं दर्शायी है। अतः गलत सूचना देकर आवंटन कमेटी को धोखा देकर तथ्य को छुपाकर भूमिहीन कृषक श्रेणी में आवंटन कराया है। आवंटन काविल निरस्ती है। तहसीलदार धौलपुर दिनांक 22.06.1970 को आवंटन किया गया। तहसीलदार को आवंटन करने का अधिकार नहीं था। आवंटन कमेटी को आवंटन नियम 1967 के अन्तर्गत था तथा पुनः आवंटन कमेटी दिनांक 17.09.1971 रामलाल के नाम किया गया। आवंटन की समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व है एक ही व्यक्ति को दो बार आवंटन किया गया है। नामान्तकरण संख्या 180 ग्राम आरी दिनांक 01.09.1972 स्वीकार कर रामनारायन पुत्र मनफूल के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित कर दिया। नामान्तकरण संख्या 196 ग्राम आरी रामनारायन पुत्र मनफूल के नाम से खातेदारी करा दी जबकि रामनारायन का नाम वर्तमान रिकार्ड में दर्ज है अब आराजी हडपने के लिये राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अप्रार्थी संख्या–1 अपने नाम कराना चाहता है। रामलाल पुत्र मनफूल का मौके पर कब्जा नहीं है जबकि प्रार्थी का करीब 60 साल से कब्जा है। रामलाल का कब्जा कभी नहीं रहा और आवंटन की शर्तो का पालन नहीं किया है। आवंटन सार्वजनिक प्रयोग की भूमि पर खातेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं हों सकते। अतः आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उनको इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई उज्रदारी हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट ने उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्य 4 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व दिनांक 18.09.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 19 ग्राम आरी की भूमि चारागाह नहीं थी वल्कि काबिल काश्त थी। मजमेआम में पूर्व में जारी विज्ञप्ति के आधार पर दिनांक 17.09.1971 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की गई जिसमें अध्यक्ष कमेटी श्री जी.पी.नागर अति0जिला न्यायाधीश धौलपुर, रामसिंह प्रधान पंचायत समिति धौलपुर, रामसिंह सरपंच ग्राम पंचायत नुनहेरा तथा फोदीराम प्रतिनिधि अनुसूचित जाति धौलपुर उपस्थित हुये कोरम पूरा था जिन्होने प्रार्थना पत्र पर सर्व सम्मति से आवंटन आदेश पारित किया था

जो विधि सम्मत पारित किया गया है। वक्त आवंटन उत्तरदाता भूमिहीन था उसके खाते में 7 बीघा 8 विस्वा भूमि नहीं थी वैसे भी 7 बीघा 8 विस्वा भूमि वाला व्यक्ति भूमि हीन की श्रेणी में आता है। आवंटन भूमि को मिला कर 4 हैक्टेयर भूमि से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए जबकि मुताविक प्रार्थना पत्र 7 बीघा 8 विस्वा एवं आवंटित भूमि 2 बीघा कुल 9 बीघा 8 विस्वा भूमि होती है जो कुल 2.35 हैक्टेयर होती है इसलिये उत्तरदाता ने कोई तथ्य छुपा कर या धोका देकर आवंटन नहीं कराया है वल्कि सदभावना पूर्वक भूमि हीन होने के कारण उत्तरदाता के लिये आवंटन किया गया है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिनांक 22.6.1970 को कोई आवंटन नहीं किया गया वल्कि एक ही वार दिनांक 17.9.1971 को आवंटन कमेटी ने नियम 1957 के तहत जो नियम 1970 में बिलये कर दिये गये थे के आधार पर किया गया है जो सही है। राजस्व कर्मचारियों ने लिपकीय भूल से रामलाल के स्थान पर रामनारायन कर दिया गया है जिसे दुरस्त करने के लिये न्यायालय एस.डी.ओ. सैपऊ में कार्यवाही कर दी गई है। प्रार्थी का उत्तरदाता की आवंटित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है ना ही वर्तमान में कब्जा है। प्रार्थी की उम्र मात्र 55–56 वर्ष है 55–56 वर्ष का व्यक्ति 60 वर्ष से कैसे कब्जा कर सकता है। प्रार्थी ने अपने शपथ पत्र में अपनी उम्र 60 वर्ष लिखी है क्या कोई व्यक्ति जन्म लेते ही भूमि पर कब्जा कर सकता है इस प्रकार प्रार्थी ने तथ्य छुपा कर असत्य कथन लिख कर प्रार्थना पत्र मात्र मात्र उत्तरदाता को परेशान करने के लिये प्रस्तुत किया है एक तरफ तो प्रार्थी स्वंय 60 वर्ष से काश्त करना अंकित कर रहा है तथा दूसरी तरफ प्रार्थी उसी भूमि को सार्वजनिक प्रयोग की भूमि बताता है इस प्रकार से बिरोधाभाषी कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ऐसे कथनों के आधार पर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। आवंटित भूमि ग्रामवासियों की मवेसी चराने की भूमि नहीं है वल्कि उत्तरदाता की खातेदारी की आराजी है जिस पर उत्तरदाता खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहा है। खातेदारी दर्ज होने के बाद न्यायालय श्रीमान को नियम 14(4) नियम 1970 के तहत सुनवाई का अधिकार नहीं है। खातेदारी प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी को आवंटन की जानकारी आवंटन के समय से ही है क्योंकि इसी खसरा नम्बर में प्रार्थी के भाई हरिविलास पुत्र फोंदी के लिये आवंटन किया गया है। प्रार्थी उत्तरदाता के आवंटन को 52 वर्ष बाद किसी भी प्रकार से खारिज करा पाने का अधिकारी नहीं है। उत्तरदाता ने अपने जबाव में विशेष कथन में अंकित किया है कि राजस्व विभाग द्वारा खसरा नम्बर 19 में से दिनांक 17.09.1971 को एक साथ काफी लोगो के लिये तत्कालीन आवंटन कमेटी अध्यक्ष ए.डी.एम साहब धौलपुर द्वारा पूर्ण विधि बिधान से आवंटन किया गया जिसमें से उत्तरदाता के लिये खसरा नम्बर 19/874 रकवा 2 बीघा प्रार्थी के भाई हरिविलास के लिये 19/876 रकवा 2 बीघा पोखन पुत्र पाचिया जाति जाटव निवासी आरी के लिये 19/867 रकवा 2 बीघा बाबूलाल पुत्र चिम्मन जाति जाटव निवासी आरी के लिये 19/873 रकवा 3 बीघा मवानी पुत्र मंगला जाति जाटव आरी के लिये 19/875 रकवा 2 बीघा एवं सोवरन पुत्र पांचिया जाति जाटव निवासी आराजी के लिये 19/871 रकवा 2 बीघा का आवंटन किया गया जिनके आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति जबाव के साथ प्रस्तुत की जा रही है उत्तरदाता एवं उपरोक्त समस्त आवंटी खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा इनके

अलावा अन्य लोगों के नाम भी आवंटन आदेश उपलब्ध नहीं हो सके है लेकिन जमाबन्दी की नकले प्रस्तुत की जा रही है इसप्रकार आवंटित आराजी चारागाह नहीं है काबिल काश्त है जिसमें सभी खातेदार अलग अलग काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान एस.डी.ओ. सैपऊ को गुमराह कर अपने पक्ष में खातेदारी कराने की मंशा से वास्ते दुरस्ती इन्द्राज एवं स्वत्व घोषणा का रामनारायण पुत्र मनफूल के स्थान पर स्वंय का रामसरन पुत्र फोंदी लिखाने के लिये एक दावा कर रखा है जिसकी जानकारी उत्तरदाता को नहीं रही जानकारी होते ही उत्तरदाता ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का उपरोक्त वाद में प्रस्तुत कर दिया है तथा एक वाद रामलाल बनाम राजस्थान सरकार वास्ते दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान एस.डी.ओ. साहब सैपऊ में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें न्यायालय श्रीमान जी द्वारा तहसीलदार सैपऊ से जबाव मांगा जिसके तहत तहसीलदार सैपऊ ने उत्तरदाता के हक में आवंटन होना स्वीकार किया है तथा रामनारायन पुत्र मनफूल के स्थान पर रामलाल पुत्र मनफूल जाति जाटव निवासी साकिन देह राजस्व रिकार्ड में किये जाने की अनुशंसा की है प्रार्थी रामसरन का कब्जा नहीं बताया है दोनो दावो की प्रमाणित प्रति मय ऑर्डरशीट व जाबव तहसीलदार सैपऊ मय रिपोर्ट पटवारी हल्का आरी जबाव प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान एस.डी.ओ सैपऊ को गुमराह कर अपने पक्ष में खातेदारी

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र रामलाल पुत्र मनफूल दिनांक 17.09.1971, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 118 ग्राम आरी सम्बत 2022, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 95 ग्राम आरी, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 70 ग्राम आरी सम्बत 2022, नामान्तकरण संख्या 180 ग्राम आरी, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 196 आरी, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 173 ग्राम आरी संवत 2035–39, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 117 ग्राम आरी संवत 2039–42, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 144 ग्राम आरी, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 125 ग्राम आरी संवत 2044–47, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 129 ग्राम आरी संवत 2048–52, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 145 ग्राम आरी सवंत 2052–55, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 148 ग्राम आरी संवत 2056–59 पेश किये है।

अप्रार्थी ने अपने जबाव के समर्थन में जबाव उनवानी रामलाल बनाम सरकार द्वारा तहसीलदार सैपऊ, प्रमाणित प्रति कार्यालय ग्राम पंचायत नुनहेरा दिनांक 12.11.2021, प्रमाणित प्रति नकल रिपोर्ट पटवारी नुनहेरा, फोटो कॉपी रामलाल आधार कार्ड, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संख्या 198 वाके नुनहेरा, प्रमाणित प्रति भूमि आवंटन हरिविलास, प्रमाणित प्रति भूमि आवंटन फोखन दिनांक 17.9.1971, प्रमाणित प्रति भूमि आवंटन सोवरन सीम दिनांक 17.9.1971, प्रमाणित भूमि आवंटन बाबूलाल दिनांक 17.9. 1971, प्रमाणित भूमि आवंटन मवसि जाटव दिनांक 17.9.1971, फोटो प्रति जमावंदी खाता संख्या 89 वाके ग्राम नुनहेरा, फोटो प्रति जमावन्दी खाता संख्या 235 वाके ग्राम नुनहेरा, फोटो प्रति जमावंन्दी खाता संख्या 71 वाके ग्राम नुनहेरा, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 133 वाके ग्राम नुनहेरा, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 182 वाके ग्राम नुनहेरा, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 248 वाके ग्राम नुनहेरा, फोटो प्रति जमाबन्दी

खाता संख्या 201 वाके ग्राम नुनहेरा, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 185 वाके ग्राम नुनहेरा, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 243 वाके ग्राम नुनहेरा, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 102 वाके ग्राम नुनहेरा, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 258 वाके ग्राम नुनहेरा, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 2019 वाके ग्राम नुनहेरा, फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 2 वाके ग्राम नुनहेरा नकल दावा आदेशिका दिनांक 14.2.2022, नकल दावा उनवान रामलाल वनाम राज0सरकार, नकल दावा रामलाल वनाम सरकार में शपथ पत्र दिनांक 14.12.2021, नकल आदेशिक दिनांक 2.9.2021, नकल दावा स्वतव घोषणा धारा 88, नकल शपथ पत्र दिनांक 22.7.2021 पेश किये है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी संबत 2022 में चारागाह भूमि दर्ज हैं। चारागाह भूमि सार्वजनिक प्रयोग की भूमि होती है जिसका नहीं किया जा सकता। आवंटन नियम 1970 नियम 4(1) भूमि धारा 16 राज0काश्त0अधि0 वर्णित भूमि आवंटन योग्य नहीं है, प्रतिवन्धित भूमि है। आवंटन से पूर्व उदघोषणा जारी नहीं की गयी। आवंटन से पूर्व आवेदन पत्र की प्रवष्टि की कोई जांच नहीं की और ना ही पात्रता की जांच की। नियम 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 की पालना नहीं की गयी जबकि आवश्यक है। आवंटन नियम विरूद्व किया गया। आवंटन सलाहकार समिति में दो सदस्य सरपंच, अनुसूचित जाति का सदस्य की उपस्थिति दर्ज है। अतः कोरम पूरा नहीं होने से आवंटन प्रकिया अवैध है। रामलाल पुत्र मनफूल भूमिहीन व्यक्ति नहीं था उसके नाम 7 बीघा 8 विस्वा आराजी ग्राम आरी में थी तथा उसके पिता मनफूल पुत्र केशो के नाम भी 7 बीघा 8 विस्वा बांकेग्राम आरी में थी। अतः आवंटन फॉर्म के कालम 1, 2 में कोई भूमि नहीं दर्शायी है। अतः गलत सूचना देकर आवंटन कमेटी को धोखा देकर तथ्य को छुपाकर भूमिहीन कृषक श्रेणी में आवंटन कराया है। नामान्तकरण संख्या 180 ग्राम आरी रामनारायन पुत्र मनफूल जाति जाटव निवासी ग्राम आरी गैरखातेदार स्वीकार किया गया। नामान्तकरण संख्या 180 ग्राम आरी गैरखातेदार से खातेदारी सन 1981 में तहसीलदार सैपऊ द्वारा दी गई जबकि रामनारायन पुत्र मनफूल नाम का कोई व्यक्ति ग्राम में नहीं है। अतः आराजी सरकार के नाम पुनः अंकित की जावे। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। धोखा देकर या गलत तथ्यों के आधार पर कराया गया आवंटन कभी भी निरस्त कराया जा सकता है इसके लिये कोई मियाद नहीं है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी.1982पेज576, आर.आर.डी.1983 पेज319 ,आर.आर.डी. 1993पेज652, आर.आर.डी 1974 पेज 29, आर.आर.डी.1982 पेज 497,आर.आर.डी 1986 पेज221,आर.आर.डी.2007पेज340,आर.आर.डी.2002डी.बी.पेज 1, आर.आर.डी.1990 पेज465 आर.आर.टी.2009 पेज 113, आर.आर.टी.2009(2) पेज 221, आर.आर.टी.2006(1) पेज 710,के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटित भूमि चारागाह नहीं थी वल्कि काबिल काश्त थी। मजमेआम में जारी विज्ञप्ति के आधार पर दिनांक 17.09.1971 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की गई जिसमें अध्यक्ष कमेटी श्री जी.पी.नागर अति0जिला न्यायाधीश

धौलपुर, रामसिंह प्रधान पंचायत समिति धौलपुर, रामसिंह सरपंच ग्राम पंचायत नुनहेरा तथा फोदीराम प्रतिनिधि अनुसूचित जाति धौलपुर उपस्थित हुये कोरम पूरा था जिन्होने प्रार्थना पत्र पर सर्व सम्मति से आवंटन आदेश पारित किया जो विधि सम्मत पारित किया गया है। वक्त आवंटन आवंटी भूमिहीन था उसके खाते में 7 बीघा 8 बिस्वा भूमि नहीं थी वैसे भी 7 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाला व्यक्ति भूमि हीन की श्रेणी में आता है। आवंटन भूमि को मिला कर 4 हैक्टेयर भूमि से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए जबकि मुताविक प्रार्थना पत्र 7 वीघा 8 विस्वा एवं आवंटित भूमि 2 बीघा कुल 9 वीघा 8 बिस्वा भूमि होती है जो कुल 2.35 हैक्टेयर होती है इसलिये आवटीं ने कोई तथ्य छुपा कर या धोका देकर आवंटन नहीं कराया है वल्कि सदभावना पूर्वक भूमि हीन होने के कारण आवंटी के लिये आवंटन किया गया है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिनांक 22.6.1970 को कोई आवंटन नहीं किया गया वल्कि एक ही वार दिनांक 17.9.1971 को आवंटन कमेटी ने नियम 1957 के तहत जो नियम 1970 में बिलये कर दिये गये थे के आधार पर किया गया है जो सही है। राजस्व कर्मचारियों ने लिपकीय भूल से रामलाल के स्थान पर रामनारायन कर दिया गया है जिसे दुरस्त करने के लिये न्यायालय एस.डी.ओ. सैपऊ में कार्यवाही कर दी गई है। न्यायालय द्वारा तहसीलदार सैपऊ से जबाव मांगा जिसके तहत तहसीलदार सैपऊ ने आवटी के हक में आवंटन होना स्वीकार किया है तथा रामनारायन पुत्र मनफूल के स्थान पर रामलाल पुत्र मनफूल जाति जाटव निवासी साकिन देह राजस्व रिकार्ड में किये जाने की अनुशंसा की है प्रार्थी रामसरन का कब्जा नहीं बताया है। प्रार्थी का आवंटित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है ना ही वर्तमान में कब्जा है। प्रार्थी की उम्र मात्र 55–56 वर्ष है 55–56 वर्ष का व्यक्ति 60 वर्ष से कैसे कब्जा कर सकता है। प्रार्थी ने अपने शपथ पत्र में अपनी उम्र 60 वर्ष लिखी है क्या कोई व्यक्ति जन्म लेते ही भूमि पर कब्जा कर सकता है इस प्रकार प्रार्थी ने तथ्य छुपा कर असत्य कथन किया है। आवटीं खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहा है। खातेदारी दर्ज होने के बाद न्यायालय श्रीमान को नियम 14(4) नियम 1970 के तहत सुनवाई का अधिकार नहीं है। खातेदारी प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी को आवंटन की जानकारी आवंटन के समय से ही है क्योंकि इसी खसरा नम्बर में प्रार्थी के भाई हरिविलास पुत्र फोंदी के लिये आवंटन किया गया है। प्रार्थी आवटीं के आवंटन को 52 वर्ष बाद किसी भी प्रकार से खारिज करा पाने का अधिकारी नहीं है। विवादित आराजी में से दिनांक 17.09.1971 को एक साथ काफी लोगो के लिये तत्कालीन आवंटन कमेटी अध्यक्ष ए.डी.एम साहब धौलपुर द्वारा पूर्ण विधि बिधान से आवंटन किया गया। उपरोक्त समस्त आवंटी खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा इनके अलावा अन्य लोगों के नाम भी आवंटन किया गया है। आवंटित आराजी चारागाह नहीं है काबिल काश्त है जिसमें सभी खातेदार अलग अलग काबिज होकर काश्त कर रहे है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर.बी.जे.2020 पेज 732, आर.आर.टी.2023 पेज 559, आर.बी.जे.2016 पेज 418, आर.आर.टी.2022–23(सुप.) पेज 112, आर.आर.टी.2023 पेज 1218 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने की प्रार्थना की।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 19 रकवा 29 बीघा 18

बिस्वा चारागाह में से 02 बीघा बांकेग्राम आरी तहसील सैपऊ का दिनांक 17.9.1971 को आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी रामलाल पुत्र मनफूल जाति जाटव निवासी ग्राम आरी तहसील सैपऊ को आवंटन किया गया है। अप्रार्थी के भूमि आवंटन आवेदन पत्र पर आदेश में यह स्पष्ट अंकित है कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की गई जिसमें अध्यक्ष अति0जिलाधीश धौलपुर, रामसिंह प्रधान पंचायत समिति धौलपुर, रामसिंह सरपंच ग्राम पंचायत नुनहेरा तथा फोदीराम प्रतिनिधि अनुसूचित जाति धौलपुर उपस्थित हुये और उनके हस्ताक्षर हो रहे है। इस प्रकार कोरम पूरा था जिन्होने प्रार्थना पत्र पर सर्व सम्मति से आवंटन आदेश पारित किया जो विधि सम्मत पारित किया गया है। वक्त आवंटन आवंटी भूमिहीन था 7 बीघा 8 बिस्वा भूमि वाला व्यक्ति भूमि हीन की श्रेणी में आता है। आवंटन भूमि को मिला कर 4 हैक्टेयर भूमि से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए जबकि मुताविक प्रार्थना पत्र 7 बीघा 8 बिस्वा एवं आवंटित भूमि 2 बीघा कुल 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि होती है जो कुल 2.35 हैक्टेयर होती है इसलिये आवटीं ने कोई तथ्य छुपा कर या धोखा देकर आवंटन नहीं कराया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह सावित होता हो कि अप्रार्थी/आवंटी को तहसीलदार धौलपुर द्वारा दिनांक 22.6.1970 को कोई आवंटन किया गया हो। वल्कि एक ही वार दिनांक 17.9.1971 को आवंटन कमेटी ने नियम 1970 के आधार पर किया गया है। न्यायालय उप खण्डाधिकारी सैपऊ में विचाराधीन वाद रामलाल बनाम सरकार वास्ते दुरस्ती इन्द्रांज एवं स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रस्तुत जबाव में आवंटी के हक में आवंटन होना स्वीकार किया है तथा रामनारायन पुत्र मनफूल के स्थान पर रामलाल पुत्र मनफूल राजस्व रिकार्ड में किये जाने की अनुशंशा की है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र नियम 14(4) अप्रार्थी को हुये आवंटन को खारिज करने के लिये मात्र पेश किया है जबकि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के भाई हरिविलास पुत्र फौंदी एवं अन्य कई व्यक्तियों को हुये आवंटन को निरस्त करने के लिये पेश नहीं किया है। नामान्तकरण संख्या 180 ग्राम आरी आवंटी को गैरखातेदार स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण संख्या 180 ग्राम आरी आवंटन की समस्त शर्तो की पालना किये जाने की जॉच पश्चात आवंटी को गैरखातेदारी से खातेदारी संन 1981 में तहसीलदार सैपऊ द्वारा दी गयी है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात नियम 14(4)भूमि आवंटन नियम 1970 के द्वारा खातेदारी अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने 1986 आर आर डी पेज 137 एवं आर आर डी 1987 पेज 371, आर.आर.टी.2022–23(सुप.) पेज 112 पर प्रतिपादित किया है। यहॉ तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी के विरूद्व आवंटन के लगभग 52 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि उक्त विवादित आराजी में अन्य कई व्यक्तियों को आवंटन किया गया है। समस्त आवंटी खातेदार काश्तकार हो चुके है। प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त व नजीरों से हम पूर्णतः सहमत है। उपरोक्त विवचेन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना व आवंटन यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 17.09.1971 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर